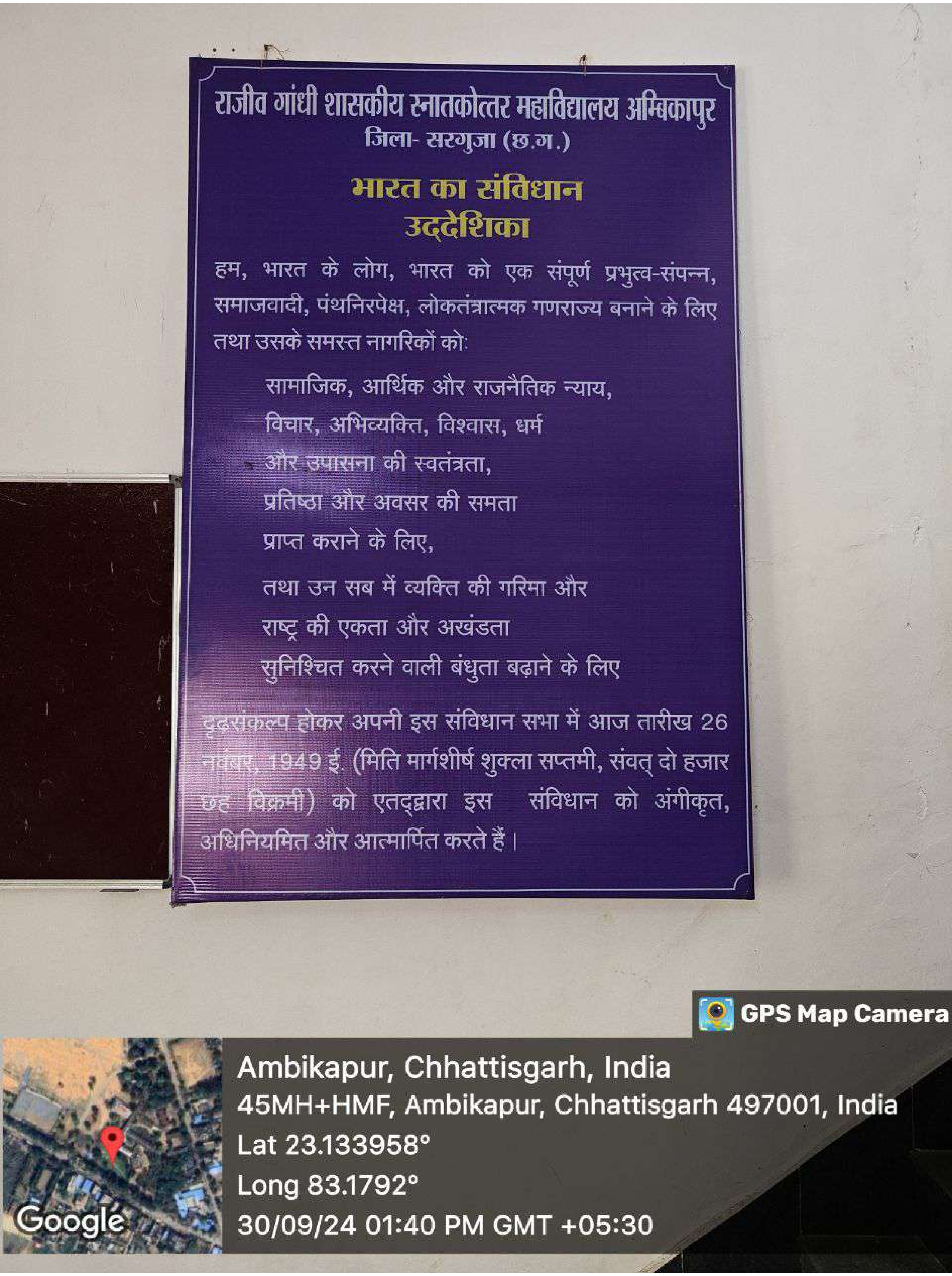
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर
जिला- सरगुजा (छ.ग.)
भारत का संविधान
उद्देशिका
हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
GPS Map Camera
Google
Ambikapur, Chhattisgarh, India
45MH+HMF, Ambikapur, Chhattisgarh 497001, India
Lat 23.133958°
Long 83.1792°
30/09/24 01:40 PM GMT +05:30

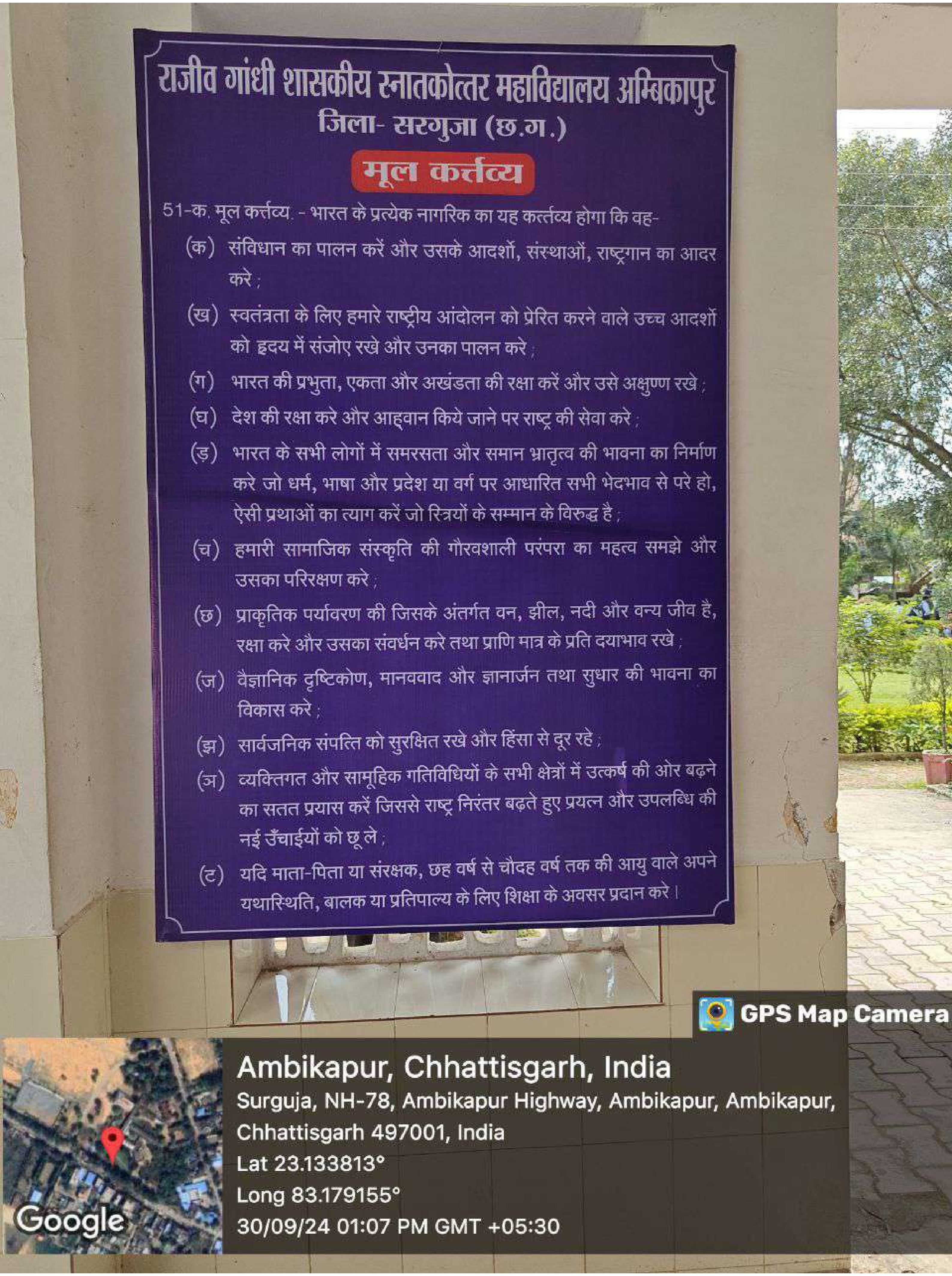
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर
जिला- सरगुजा (छ.ग.)
मूल कर्त्तव्य
51-क. मूल कर्त्तव्य. - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-
(क) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करे ;
(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को ह्दय में संजोए रखे और उनका पालन करे ;
(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे ;
(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे ;
(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ;
(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे ;
(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे ;
(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे ;
(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ;
(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई उँचाईयों को छू ले ;
(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।
GPS Map Camera
Google
Ambikapur, Chhattisgarh, India
Surguja, NH-78, Ambikapur Highway, Ambikapur, Ambikapur, Chhattisgarh 497001, India
Lat 23.133813°
Long 83.179155°
30/09/24 01:07 PM GMT +05:30

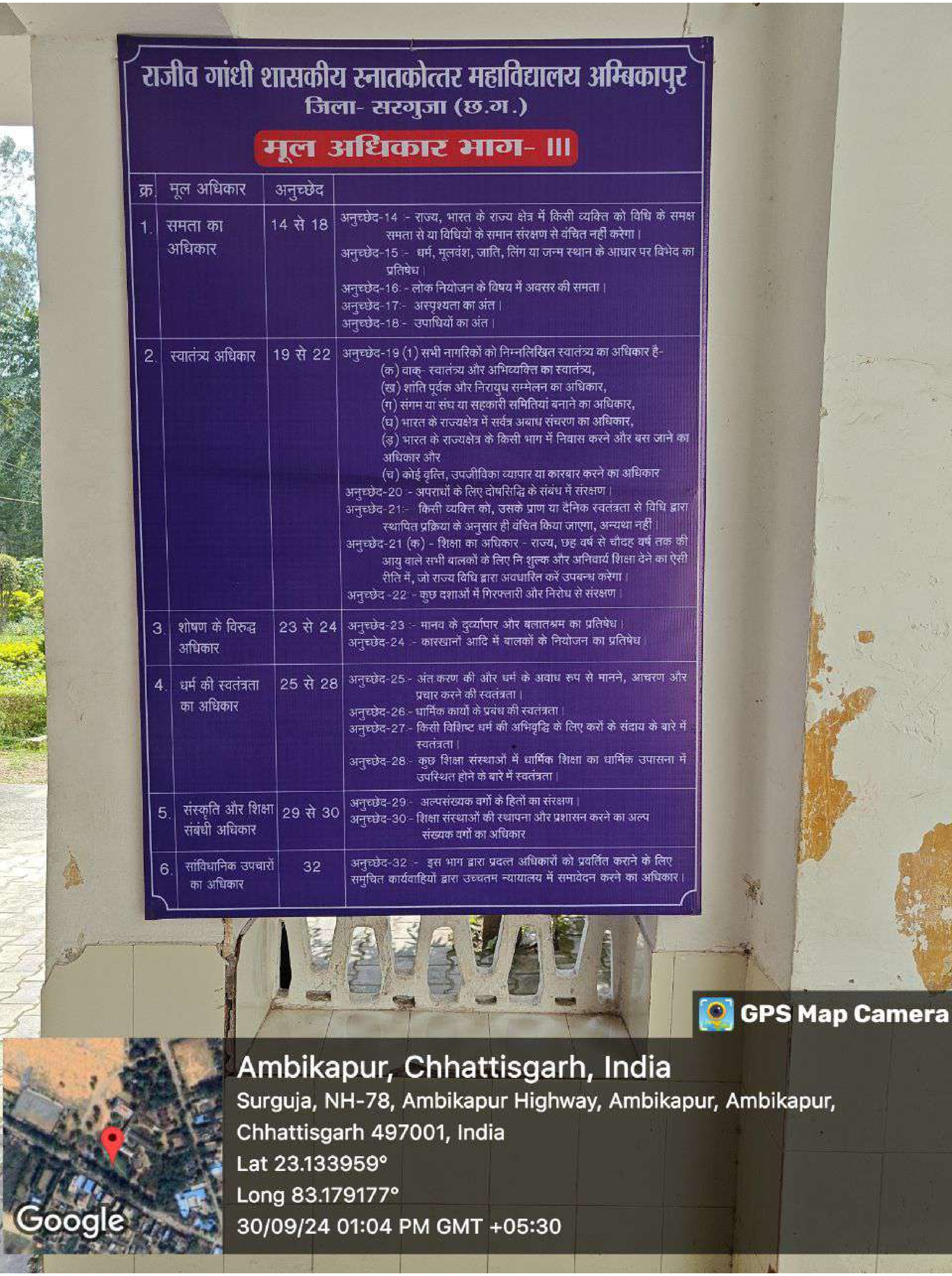

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर

जिला- सरगुजा (छ.ग.)

मूल अधिकार भाग- III

क्र.	मूल अधिकार	अनुच्छेद	
1.	समता का अधिकार	14 से 18	अनुच्छेद-14 :- राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद-15 :- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद-16: - लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद-17:- अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद-18:- उपाधियों का अंत।
2.	स्वातंत्र्य अधिकार	19 से 22	अनुच्छेद-19 (1) सभी नागरिकों को निम्नलिखित स्वातंत्र्य का अधिकार है- (क) वाक्- स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य, (ख) शांति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, (ग) संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, (घ) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, (ङ) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार और (च) कोई वृत्ति, उपजीविका व्यापार या कारबार करने का अधिकार अनुच्छेद-20 - अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद-21:- किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैनिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद-21 (क) - शिक्षा का अधिकार - राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए नि शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपबन्ध करेगा। अनुच्छेद-22 - कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
3.	शोषण के विरुद्ध अधिकार	23 से 24	अनुच्छेद-23 :- मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद-24 :- कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
4.	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	25 से 28	अनुच्छेद-25:- अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-26:- धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद-27:- किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद-28:- कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।
5.	संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	29 से 30	अनुच्छेद-29:- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद-30:- शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्प संख्यक वर्गों का अधिकार
6.	सांविधानिक उपचारों का अधिकार	32	अनुच्छेद-32 :- इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार।